☎ : 07672-251164(कार्या.)
07672-251490 (फैक्स)
E:mail Id :- satnacentraljail@gmail.com

कार्यालय जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल सतना (म०प्र०)

विज्ञप्ति

क्रमांक............... / निर्वाह / 2018 सतना ,दिनांक .... / .... / 2018

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय जेल सतना कार्यालय की निम्नानुसार निष्प्रोजित वाहन " जहॉ है, जैसे है " की बिक खुली नीलामी (घोष विकय) दिनांक 14.05.2018 को प्रातः 11:00 बजे केन्द्रीय जेल सतना में की जावेगीः–

विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	वाहन का प्रकार	वाहन कमांक	निर्माण वर्ष	आफसेट प्राइज
1	राजदूत मोटर साइकिल	M.P-02/6175	1992	3,000
2	मार्सल एम्बूलेन्स	M.P-02/2872	1996	40,000
3	टाटा सूमो	M.P-02/3294	1997	45,000

ऊपर दर्शित वाहन विकय की समस्त जानकारी www.mp.nic.in/mpjail बेवसाईट पर देखी जा सकती है। नीलामी एवं अन्य समस्त कार्यवाही जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल सतना द्वारा की जावेगी एवं नीलामी कार्यवाही की शर्ते कार्यालय (निर्वाह शाखा) जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल सतना से प्राप्त की जा सकती है।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल सतना (म0प्र0)

नीलामी की शर्ते

1. वाहन जहॉ जिस हालत में रखा/खडा है उसी हालत में नीलाम किया जावेगा।
2. वाहन का निरीक्षण केन्द्रीय जेल सतना में किया जा सकता है तथा अधिक जानकारी के लिये निर्वाह शाखा केन्द्रीय जेल सतना से सम्पर्क किया जावें।
3. प्रत्येक बोलीदार को उक्त बिन्दू (1) मोटर साइकिल मे बोली लगाने हेतु 500/-एवं अन्य वाहनों के लिये 10000/- शब्दों में दस हजार की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैकर चेक जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल सतना के नाम जों भारतीय स्टेट बैंक से देय होगा दिनांक 05.05.2018 को शाम 05:00 बजे तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा वही व्यक्ति बोली में भाग ले सकेगा जिसके द्वारा धरोहर राशि जमा की गई हो।
4. नीलामी कार्यवाही के दौरान उच्चतम बोली जिस पक्षकार की प्राप्त होगी उन्हे नीलामी राशि का 50 प्रतिशत का चेक के माध्यम से तत्काल जमा कराना होगा, इसका पालन नही करनी की दशा में जमा की गई धरोहर राशि संबंधित विभाग के पक्ष में राजसात हो जावेगी, तथा उसकी नीलामी निरस्त की जावेगी, शेष राशि का चेक तीन दिवस के अन्दर इस कार्यालय में जमा करना होगा, चेक क्लियरेनस होंने के बाद बाहन की डिलेवरी दी जावेगी।
5. अंतिम बोली की पुष्टिकरण की सूचना के तीन दिवसस के भीतर सफल बोलीदार को अतिशेष राशि जमा करना अनिवार्य होगा यदि निर्धारित समय--सीमा में अतिशेष रशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई 50 प्रतिशत राशि तथा अमानत राशि संबंधित विभाग के पक्ष मे राजसात कर दी जवेगी। तथा नीलामी निरस्त समझी जावेगी। एवं पुनः नीलामी वाहन की कीमत प्रथम नीलामी की राशि से कम आती है तो पक्षकार से ऐसी हानि/खर्च वसूली योग्य होगा।
6. किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल सतना का होगा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी।
7. किसी भी प्रकार के विवाद में जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल सतना का निर्णय अंतिम होगा जो सर्वमान्य होगा।
8. उच्चतम बोली लगानें वालो को छोडकर अन्य बोली लगाने वालो की धरोहर राशि उसी दिन नियमानुसार वापस कर दी जावेगी।
9. वाहन अंतिम रूप से निराकरण होने का पश्चात पक्षकार स्वयं के व्यय पर वाहन उठायेगा तथा परिवहन विभाग के नियमों के आधीन सात दिवस में अपने पक्ष में पंजीयन करायेगा तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा इस पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करेगा। शासन द्वारा कोई व्यय वहन नही किया जावेगा।
10. सफल बोलीदार को वाहन प्राप्त के समय अपना पहचान पत्र (Address proof) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल सतना (म0प्र0)